

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सं०सं०-5/विविध-20-08/2015- 675(2) दिनांक:- 15/06/2022

कार्यालय आदेश

विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य सेवा के पदाधिकारियों के बीच कार्यहित में नये सिरे से निम्नरूपेण कार्य आवंटित किया जाता है :-

प्रशाखा का नाम	प्रथम स्तर के पदाधिकारी	द्वितीय स्तर के पदाधिकारी	तृतीय स्तर के पदाधिकारी	अंतिम स्तर के पदाधिकारी
प्रशाखा-1	डा० अमरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, निदेशक प्रमुख (प्रशिक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा)	श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री कौशल किशोर, अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-2	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव	—	—	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-3	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव	—	—	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-4	डा० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल)	श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी	—	सचिव
प्रशाखा-5 (लेखा एवं लेखन सामग्री सहित)	श्री अंजनी कुमार सिन्हा, अवर सचिव (संविदा)	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	—	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-6	डा० महेश्वर प्रसाद गुप्ता, निदेशक प्रमुख (परिवार कल्याण मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग)	—	श्री कौशल किशोर, अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-7	श्री प्रतुल चन्द्र सुमन, अवर सचिव (संविदा)	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव	—	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-8	श्री आनन्द प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव	—	सचिव
प्रशाखा-9	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव	—	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-10	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव	श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव	—	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-11	डा० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल)	श्री आनन्द प्रकाश विशेष कार्य पदाधिकारी	—	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-12	श्री आनन्द प्रकाश विशेष कार्य पदाधिकारी	—	—	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-13 (विधान मंडलीय एवं कोर्ट केसेज)	श्री रवीन्द्र नाथ उपाध्याय, अवर सचिव (संविदा)	श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी	—	सचिव
प्रशाखा-14	डा० नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक	—	श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव	सचिव
प्रशाखा-15 औषधि नियं०	प्रभारी राज्य औषधी नियंत्रक	डा० वीर कृवर सिंह, निदेशक प्रमुख (मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन खाद्य एवं औषधि नियंत्रण)	श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

15/06/22

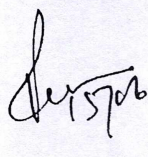
खाद्य संरक्षा	श्री रबीन्द्र नाथ उपाध्याय, अवर सचिव (संविदा)	—	सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी (खाद्य संरक्षा)	अपर मुख्य सचिव -सह- खाद्य संरक्षा आयुक्त
प्रशाखा-16	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	—	श्री अंशुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-17	डा० अमरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, निदेशक प्रमुख (प्रशिक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा)	श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री कौशल किशोर, अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा-18 (सूचना-सह- जन शिकायत कोषांग सहित)	श्री प्रतुल चन्द्र सुमन, अवर सचिव (संविदा)	श्री आनन्द प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी	—	सचिव
प्रोन्नति कोषांग (प्रशाखा-18A)	श्री अंजनी कुमार सिन्हा, अवर सचिव (संविदा)	श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी	—	अपर मुख्य सचिव

2- पदाधिकारियों की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए निम्न प्रकार लिंक पदाधिकारी बनाये जाते हैं। एक पदाधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में दूसरे पदाधिकारी उनका कार्य देखेंगे :-

पदाधिकारी का नाम	लिंक पदाधिकारी का नाम
श्री कौशल किशोर, अपर सचिव	श्री अंशुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव
श्री अंशुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव	श्री कौशल किशोर, अपर सचिव
श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव
श्री शैलेश कुमार, उप सचिव	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव
श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री आनन्द प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी
श्री आनन्द प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी
श्री प्रतुल चन्द्र सुमन, अवर सचिव	श्री अंजनी कुमार सिन्हा, अवर सचिव
श्री अंजनी कुमार सिन्हा, अवर सचिव	श्री रबीन्द्र नाथ उपाध्याय, अवर सचिव
श्री रबीन्द्र नाथ उपाध्याय, अवर सचिव	श्री प्रतुल चन्द्र सुमन, अवर सचिव
डा० अमरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, निदेशक प्रमुख (प्रशिक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा)	डा० उषा किरण वर्मा, निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
डा० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल)	डा० महेश्वर प्रसाद गुप्ता, निदेशक प्रमुख (परिवार कल्याण मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग)
डा० महेश्वर प्रसाद गुप्ता, निदेशक प्रमुख (परिवार कल्याण मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग)	डा० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल)
डा० वीर कुवर सिंह, निदेशक प्रमुख (मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन खाद्य एवं औषधि नियंत्रण)	डा० उषा किरण वर्मा, निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
डा० उषा किरण वर्मा, निदेशक प्रमुख (प्रशासन)	डा० अमरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, निदेशक प्रमुख (प्रशिक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा)
डा० नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक	डा० अशोक कुमार, अपर निदेशक

675 (5)
15/06/2022
2

- 3- सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में अत्यावश्यक संचिका पर अंतिम रूप से आदेश अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का प्राप्त करना होगा।
- 4- प्रशाखा-02 एवं 03 एवं प्रशाखा-17 से संबंधित चिकित्सकों का सेवा विनियमन, उच्च शिक्षा/ साक्षात्कार आदि के लिए अनापत्ति (N.O.C) निर्गत करने हेतु सचिव, स्वास्थ्य विभाग को प्राधिकृत किया जाता है। इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।
- 5- श्री अंशुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग अगले आदेश तक राज्य आयुष समिति के कार्यपालक निदेशक के प्रभार में रहेंगे। साथ ही प्रशाखा-16 (आयुष) से संबंधित आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के GPF अग्रिम, अवकाश तथा सेवा विनियमन एवं सेवांत लाभ से संबंधित सभी मामलों की स्वीकृति हेतु श्री अग्रवाल, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य को प्राधिकृत किया जाता है।
- 6- श्री अग्रवाल के अवकाश/ अनुपस्थिति अवधि में आयुष समिति के कार्यपालक निदेशक के दायित्वों का निर्वहन श्री संजय कुमार सिंह, विशेष सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा किया जायेगा।
- 7- प्रशाखा-02, 03, 16 एवं 17 स्थापना से जुड़े सभी कर्मियों/ पदाधिकारियों की विदेश यात्रा से संबंधित सभी संचिकाएँ सचिव, स्वास्थ्य के स्तर से माननीय मंत्री, स्वास्थ्य को उपस्थापित की जाएगी।
- 8- श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सी0एफ0एम0एस0 हेतु विभागीय बजट मॉड्यूल के Approver के रूप में विभाग के सभी बजट आवंटनादेशों पर हस्ताक्षर करने एवं राज्यादेशों तथा आवंटनादेशों द्वारा सहायक अनुदान की निकासी के उपरान्त उक्त राशि के समायोजन हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
- 9- पासपोर्ट बनवाने के क्रम में विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि से संबंधित विहित प्रपत्र/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्यालय स्तर के मामलों में श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव तथा अन्य मामलों में श्री कौशल किशोर, अपर सचिव को प्राधिकृत किया जाता है।
- 10- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अन्तर्गत चिकित्सा अनुदान हेतु गठित अधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता तथा चिकित्सा संबंधी प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को हटाने, रखने और प्रत्यारोपण को विनियमित करने हेतु प्राधिकृत करनेवाली समिति की बैठक की अध्यक्षता डा0 राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल) द्वारा किया जायेगा।
- 11- बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन प्रपत्र पर हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर तथा विभाग से संबंधित नवाचार आदि यथा-एम्बुलेंस क्रय, डिजिटल हेल्थ इत्यादि से संबंधित बैठक में भाग लेने, मंतव्य देने एवं जाँच की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए निदेशक प्रमुख (प्रशासन) को प्राधिकृत किया जाता है।
- 12- डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वीकृत राशि का चेक निर्गत करने हेतु डा0 राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल) के साथ संयुक्त रूप से प्राधिकृत किया जाता है।
- 13- लेखा शाखा को डा0 राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल) एवं डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक के हस्ताक्षर का नमूना प्राप्त कर उसे उक्त कोष से संबंधित संयुक्त खाता से संबद्ध करने का निदेश दिया जाता है।
- 14- कौशल विकास मिशन की संचिका निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल) के माध्यम से अपर मुख्य सचिव को उपस्थापित किया जायेगा।
- 15- राष्ट्रीय मानवाधिकार आदि महत्वपूर्ण संचिकाएँ सचिव के माध्यम से अपर मुख्य सचिव को उपस्थापित की जायेंगी।
- 16- BMSICL एवं राज्य स्वास्थ्य समिति में तकनीकी मुल्यांकन समिति एवं सदस्य, वित्तीय निविदा समिति, तकनीकी कोर समिति (आवश्यक औषधियों/उपकरणों हेतु) एवं विभिन्न प्रकार के आंतरिक निविदा आदि के निष्पादन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष/सदस्य/अन्य के रूप में कार्य करने हेतु निदेशक प्रमुख (परिवार कल्याण मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग) को प्राधिकृत किया जाता है।
- 17- आपदा प्रबंधन से संबंधी संचिकाएँ डा0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर निदेशक (आपदा प्रबंधन) के द्वारा निदेशक प्रमुख (मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण) के माध्यम से उपस्थापित की जायेगी।



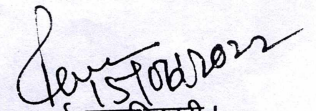
 3 675

15/06/2022

- 18- स्वास्थ्य विभाग, बिहार में पदस्थापित निदेशालय स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों पदाधिकारियों के यात्रा भत्ता विषयों तथा डी0सी0 विपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु निदेशक प्रमुख (प्रशासन) को प्राधिकृत किया जाता है।
- 19- राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड (कैदी/बंदी या प्रशाखा-14 के अधीन अन्य मामलों में) की अध्यक्षता करने निदेशक प्रमुख (प्रशासन) को प्राधिकृत किया जाता है।
- 20- स्वास्थ्य विभाग में GeM Portal के माध्यम से सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी GeM मार्गदर्शिका के आलोक में Primary User के रूप में श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव को प्राधिकृत किया जाता है।
- 21- पूर्व से निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
- 22- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- 23- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(रेणु कुमारी),
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-5/विविध-20-08/2015 (पार्ट-1)- 6755 स्वा0/पटना, दिनांक:- 15/6/2022
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य/विशेष सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना/मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदा0, रा0औ0पा0बोर्ड-सह-विशेष सचिव/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/निदेशक प्रमुख/निदेशक, आर्युवेद/होमियोपैथ/यूनानी/राज्य औषधि नियंत्रक/सभी अपर निदेशक/ प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।